न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 164/2024

अनवान : –

1. साक्षी नाबालिग पुत्री मनोज कुमार जरिये कुदरती बली माता अनीषा पत्नी मनोज कुमार जाति जाट निवासी ललाना बास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. भावीका नाबालिग पुत्री मनोज कुमार जरिये कुदरती बली माता अनीषा पत्नी मनोज कुमार जाति जाट निवासी ललाना बास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।

– प्रार्थी

बनाम्

1. हंसराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ललाना बास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. गिरदावरी पत्नी हंसराम जाति जाट निवासी ललाना बास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक भादरा तहसील भादरा।
7. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामगढ़ उज्जलवास।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **सायल**
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 28/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सायलान की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा ललाना बास नथवानिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 62/62 के खसरा नं. 12 की 4.4130 है०. 268/193 की 2.5290 80. 269/193 की 2.9080 0.3 की 9.9130 है० कुल खसरे 4 की कुल तादादी 19.7630 है0 में से 1/3 हिस्सा व खाता संख्या 124/124 के खसरा नं. 187/3 की कुल तादादी 1.6310 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा व खाता संख्या 125/125 के खसरा नं. 4/2 की कुल तादादी 1.2650 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मोजा [illegible] तहसील भादरा के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 96/[illegible] कुल तादादी 2.7310 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:04:47 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त भूमि सायलान की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दुखानदान होने के कारण से उपरोक्त भूमि गैरसायल संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के अकेले के नाम दर्ज हो गई इसलिए गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में सायलान व प्रतिवादी संख्या 3 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा है व गैरसायल संख्या 1 का 1/4 हिस्सा बनता है तथा उपरोक्त दादालाई कृषि भूमि की आय से रोही मोजा हुनवन्तपुरा तहसील भादरा के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 96/93 के खसरा नं. 11 की कुल तादादी 2.7310 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि सायलान की दादी गिरदावरी पत्नी हंसराम के नाम से खरीद की हुई भूमि है इसलिए उपरोक्त भूमि में सायलान व प्रतिवादी संख्या 3 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा है व गैरसायल संख्या 2 का 1/4 हिस्सा है।

गैरसायल संख्या 1 जो कि सायलान का दादा है व गैरसायल संख्या 2 जो कि सायलान की दादी है तथा समस्त भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए बिना जायज जरूरत के उपरोक्त भूमि भू माफिया किस्म के लोगो को बेचान करने की फिराक में है तथा सायलान को उनके हक हिस्सा से वंचित करके भूमि रहन, बैय व मुन्तकिल करने की सरेआम धमकी देते है यदि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपनी योजना में कामयाब हो जाते हैं तो सायलान के साथ घोर अन्याय होगा तथा भूखा मरने की नोबत आ जायेगी एवं सायलान को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में किसी भी सुरत में सम्भव नहीं हैं इसलिए सायलान गैरसायल संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाने की अधिकारी है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि रोही मोजा ललाना बास नथवानिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 62/62 के खसरा नं. 12 की 4.4130 है0, 268/193 की 2.5290 है0, 269/193 की 29080 है०. 3 की 9.9130 है० कुल खसरे 4 की कुल तादादी 19.7630 हैं0 में से 1/3 हिस्सा व खाता संख्या 124/124 के खसरा नं. 187/3 की कुल तादादी 1.6310 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा व खाता संख्या 125/125 के खसरा नं. 4/2 की कुल तादादी 1.2650 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मोजा हुनवन्तपुरा तहसील भादरा के जमाबंदी सम्बत 2076–2079 के खाता संख्या 96/93 के खसरा नं. 11 की कुल तादादी 2.7310 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 62/62 की कुल [illegible] हिस्सा, व खाता संख्या 124/124 की कुल 1.6310 हैक् में से 1/3 [illegible] 125/125 की कुल 1.2650 है में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा हुणतपु[illegible]/93 की कुल 2.7310 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि जो गैरसायल न० 1 के नाम दर्ज है [illegible] अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जाकी कि गई की अप्रार्थीगण उक्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:04:47 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रोही मौजा हुणतपुरा की भूमि गैरसायलान द्वारा खरीद की गई है एवं खरीदशुदा भूमि में सायल का कोई हक हिस्सा नही है उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की गई है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 62/62 की कुल 19.7630 हैक में से 1/3 हिस्सा, व खाता संख्या 124/124 की कुल 1.6310 हैक् में से 1/3 हिस्सा व खाता संख्या 125/125 की कुल 1.2650 है में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा हुणतपुरा के खाता संख्या 96/93 की कुल 2.7310 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि जो गैरसायल न० 1 के नाम दर्ज है पैतृक भूमि है जिसमें सायलान का जन्मजात हक हिस्सा है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 62/62 की कुल 19.7630 हैक में से 1/3 हिस्सा, व खाता संख्या 124/124 की कुल 1.6310 हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि ही पैतृक भूमि है रोही मौजाा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 125/125 की कुल 1.2650 है में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा हुणतपुरा के खाता संख्या 96/93 की कुल 2.7310 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि जो गैरसायल न० 1 के नाम दर्ज है के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की उक्त भूमि पैतृक है अत रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 62/62 की कुल 19.7630 हैक में से 1/3 हिस्सा, व खाता संख्या 124/124 की कुल 1.6310 हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि पैतृक भूमि होने के कारण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है लेकिन रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 125/125 की कुल 1.2650 है में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा हुणतपुरा के खाता संख्या 96/93 की कुल 2.7310 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि जो गैरसायल न० 1 के नाम दर्ज है उक्त भूमि बाबत अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित नही है, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है जब प्रथम दृष्टया मामला आंशिक प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:04:47 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
लोहारू

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 62/62 की कुल 19.7630 हैक में से 1/3 हिस्सा, व खाता संख्या 124/124 की कुल 1.6310 हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण कन्फर्म किया जाता है की मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण उक्त भूमि में से प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 125/125 की कुल 1.2650 है में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा हुणतपुरा के खाता संख्या 96/93 की कुल 2.7310 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि में दिनांक 05.07.2024 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/01/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:04:47 IST
Reason: SelfAttested